

कार्यालय राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग-9, लखनऊ।
अधिसूचना संख्या 799/9-23/2017, . दिनांक 18-7-2017


सार्वजनिक नोटिस

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6(2) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दी जाती है कि राज्य सरकार ने निम्न राजस्व क्षेत्रों के सीमाओं को एकीकरण/पुनर्सामंजस्य द्वारा/विभाजन द्वारा/ विलोपन द्वारा/ विनिर्माण द्वारा नाम में प्रत्यावर्तन/ किसी अन्य रीति द्वारा परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव किया है।

- 1- राजस्व क्षेत्र का विवरण- तहसील मुगलसराय
- 2- प्रत्यावर्तन का विवरण- तहसील दीनदयाल नगर

उपरोक्त प्रस्ताव पर ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिनों के पश्चात विचार किया जायेगा।

इस सन्दर्भ में कोई भी आपत्ति लिखित रूप में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रेषित की जा सकती है।


(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव